संख्या ए-2-87/दस-97-17(4)-75

प्रेषक,

श्री शेखर अग्रवाल,
सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण)
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

(1) प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण/ सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(2) निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

विषय :- प्रतिशत प्रभार की दर

लखनऊ दिनांक 27 फरवरी,1997

वित्त (लेखा) अनुभाग-2

महोदय,

मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या ए-2-3220/दस 17-(4)/75 दिनांक 1 अक्टूबर,1975 एवं शासना देश संख्या ए-2-2201/दस-17(4)/75 दिनांक 13 जुलाई 1976 के अर्न्तगत गैर सरकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों और वाणिज्यिक विभागों के कार्य के लिए, कार्य की लागत का 15 प्रतिशत की दर से प्रतिशत प्रभार (सेन्टेज चार्जेज) निर्धारित है। सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों से भी उनके द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे राजकीय कार्यों पर प्रतिशत प्रभार कार्य की कुल लागत में 5 प्रतिशत कमी करने के बाद उपलब्ध लागत का 15 प्रतिशत अनुमन्य किया जाता है। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त शाखा के समस्त विभाग से सम्बन्धित डिपाजिट के रूप में किये जाने वाले कार्यों पर प्रतिशत प्रभार नहीं लिया जाता है।

2. शासन ने विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रतिशत प्रभार अब कार्य की लागत का 12.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जाय एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा डिपाजिट के रूप में किये जा रहे समस्त राजकीय कार्यों पर इसी दर से प्रतिशत प्रभार वसूल किया जाय। इस प्रतिशत प्रभार में 1 प्रतिशत ऑडिट एवं एकाउन्ट्स शुल्क सम्मिलित है तथा इसका विभाजन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित रूप से होगाः-

पूर्ण परियोजनाएं एवं ब्यौरेवार अनुमान (प्रारम्भिक अनुमानों के व्यय सहित) अधिष्ठान की मद में डाला जाऐगा।	1.5 प्रतिशत
कार्यों का निष्पादन लेखा परीक्षा सहित।	11 प्रतिशत
जिन मामलों में केवल प्रारम्भिक परियोजनाएं और अनुमानित प्राक्कलन बनाये जायेंगे (अधिष्ठान की मद में डाला जायेगा)।	1.0 प्रतिशत

3. सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों एवं अन्य निर्माण इकाइयों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा शासकीय कार्य डिपाजिट के रूप में किये जाने पर सेन्टेज उन्हें पूर्व की भाँति कुल लागत में से लागत का 5 प्रतिशत घटाने के बाद उपलब्ध लागत पर 12.5 प्रतिशत अनुमन्य होगा।

4. ये आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे। ऐसे आगणन जिनकी वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, पुनरोद्घाटित (Reopen) नहीं होंगे परन्तु, यदि पुनरीक्षित आगणन जिसमें लागत में वृद्धि हो रही है, पुनः स्वीकृति हेतु शासन/सक्षम अधिकारी को शासनादेश के निर्गमन की तिथि के बाद प्राप्त होते हैं तो उन पर बढ़ी लागत की धनराशि पर प्रतिशत प्रभार इस शासनादेश में लिखित दर पर अनुमन्य होगा। वित्तीय नियम संग्रह में आवश्यक संशोधन यथा समय किये जाऐंगे।

5. कृपया इस संबंध में समुचित निर्देश अपने अधीनस्थ संबंधित आधिकारियों को अविलम्ब प्रसारित करने का कष्ट करें।

भवदीय

शेखर अग्रवाल,
सचिव,
वित्त(व्यय-नियंत्रण)

संख्या ए-2-87/दस-97-17(4)-75

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, लघु सिंचाई एवं ग्रमीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण/सिंचाई/ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
7. निदेशक, कोषागार , उ0प्र0 लखनऊ।
8. निदेशक शासकीय मुद्रणालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
9. सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से

शिवानन्द गिरि,
संयुक्त सचिव